न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 18 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़।	बनाम	1.लखो पुत्र आचू जाति कूम्हार मुसलमान निवासी देवड़ा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 46 / 2010 बअनवान लखो बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री सवाईसिंह देवड़ा रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 16.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम अदरोई के खसरा नम्बर 861 रकबा 75 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया है जबकि यह भूमि सेटलमेंट में भी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 28.04.2016 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि ग्राम अड़बाला धल अदरोई में रेस्पोडेंट/वादी को दिनांक 21.06.1971 को तत्समय ग्राम अड़बाला के समरी खसरा संख्या 311 में से रकबा 75 बीघा भूमि आंवटित कर वादी को आंवटित भूमि ग्राम अड़बाला के समरी खेत खसरा 311 व उसके पश्चात बने ग्राम अदरोई के वर्तमान खसरा संख्या 861 का कब्जा देकर मौके पर मुताबिक कब्जा रिपोर्ट से वर्णित हदूदों में आबद खेत का कब्जा देकर काबिज किया, तब से लेकर रेस्पोडेंट/वादी आज दिन तक वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार निरन्तर, निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। स्थाई बंदोबस्त में वादग्रस्त आराजी को गलत रूप से व बिना किसी आधार के सिवायचक इन्द्राज कर दिया। रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य कही भी खंडित नहीं हुई है तथा राजस्व रेकर्ड के अनुसार भी वादग्रस्त आवंटित कृषि भूमि होना पूर्ण रूप से साबित है। अपीलांट ने इस सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि उक्त भूमि राजकीय भूमि हो और रेस्पोडेंट के कब्जा काश्त में न हो। विवादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दोहराने का ही अधिकार था, सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें घट–छांट या उसे विलोपित करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने व प्रार्थी कर अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रेस्पोडेंट लखो पुत्र आचू को सरहद ग्राम अड़बाला में 75 बीघा भूमि का आवंटन बाद जांच रिपोर्ट पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.06.1971 के निर्णय के अनुसरण में उपजिलाधीश जैसलमेर के आदेशांक 2273–75 दिनांक 13.07.1971 को किया गया। जिसकी पालना में कब्जा रिपोर्ट (मूल से मिलान दिनांक 17.05.2019) अधीनस्थ न्यायालय के पृष्ठ 26 पर है, इस कब्जा रिपोर्ट में वर्णित हूददो वाली भूमि पर कब्जा के बारे में राजस्व पटवारी से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वह वर्तमान में ग्राम अदरोई के खसरा संख्या 86 रकबा 152.06 बीघा में विद्यमान हैं। रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन निरस्त नहीं हुआ है इसलिए वह आज भी प्रभावी है परन्तु वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा होना उसके गवाहों एवं अपीलांट के गवाहों के बयानों से पुष्ट नहीं होता। रेस्पोडेंट स्वयं को वादग्रस्त भूमि के खसरा संख्या याद नहीं है। वादग्रस्त भूमि की रेस्पोडेंट द्वारा दर्शाई हदूदें कब्जे की हदूदों से मेल नहीं खाती। वह अतिक्रमी रूप में जुर्माना भरने के तथ्य को भी इंकार करता है। अपीलाधीन निर्णय के वाद में पत्रावली पर प्रस्तुत एवं उपलब्ध साक्ष्य रेस्पोडेंट के वाद का समर्थन नहीं करते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2010 बअनवान लखो बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2016 को अपास्त किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 16.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner